

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 36/सॉयर्स/1991-92

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्या आरती
संस्थान, सोकर जिला सीकर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से प्राप्त
दिनांक 3 अक्टूबर माह सितम्बर सन् एक हजार नौ सौ 75 को
सिद्ध में दिया गया।

(मुकुन्द सिंह)
रजिस्ट्रार संजयपुर
सीकर (राज.)